उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-29/2460/26-1-2013-4(8)/2009

लखनऊ : दिनांक: 28 नवम्बर, 2013

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

श्री अरूण कुमार, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद में तैनाती के दौरान (दिनांक 14-06-2004 से 22-06-2007 के मध्य) की गयी कतिपय प्रशासकीय एवं वित्तीय अनियमितताओं के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3030/26-1-2010-4(8)/2009, दिनांक 26-07-2010 द्वारा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए श्रीमती किरन श्रीवास्तव, तत्कालीन संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया। अपचारी अधिकारी के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3029/26-1-2010-4(8)/2009, दिनांक 26-07-2010 द्वारा आरोप पत्र निर्गत किया गया, जिसमें अपचारी अधिकारी के ऊपर 07 आरोप लगाये गये।

2- जॉच अधिकारी की जॉच आख्या उनके पत्र दिनांक 22-09-2011 के माध्यम से शासन को प्राप्त हुई, जिसमें अपचारी अधिकारी के ऊपर लगाये गये 05 आरोपों में से आरोप संख्या-2 व 4 पूर्णरूप से तथा आरोप संख्या-5 आंशिक रूप से सिद्ध पाये गये। सिद्ध पाये गये आरोपों के संबंध में जॉच आख्या की प्रति भेजते हुए शासन के पत्र दिनांक 10-01-2012 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मॉगा गया तथा इस संबंध में दिनांक 18-04-2012 व 11-05-2012 को अनुस्मारक पत्र भी भेजे गये, किन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा अपना अभिकथन शासन को उपलब्ध नहीं कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध लगाया गया आरोप संख्या-2 जनपद मुजफ्फरनगर की कतिपय 06 शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2005-06 व वर्ष 2007-08 में अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति मद में आवंटित धनराशि में से अवशेष धनराशि विद्यालयों से वापस प्राप्त कर राजकीय कोष में जमा कराये जाने से संबंधित है।

इस संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा जॉच अधिकारी को जो उत्तर दिया गया, उसमें यह उल्लेख किया गया कि उनका स्थानान्तरण दिनांक 22-06-2007 को जनपद मुजफ्फरनगर से हो गया था। प्रकरण की जॉच हेतु गठित जॉच दल द्वारा जॉच के समय न तो उसे बुलाया गया और न कोई भी अभिलेख प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी, जिससे वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकता, इस प्रकार बिना किसी जानकारी के लगाया गया यह आरोप स्वीकार नहीं है, जहॉ तक संस्थाओं से उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने व अवशेष पड़ी धनराशि को वापस प्राप्त कर राजकोष में जमा कराये जाने हेतु उसके द्वारा सभी पटल सहायकों को निर्देशित किया जा चुका था। अत:

http://shasanadesh.up.nic.in

इसके अनुश्रवण का उत्तरदायित्व संबंधित लिपिक का बनता है। उक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत आरोप से मुक्त करने का अनुरोध अपचारी अधिकारी द्वारा किया गया।

इस संबंध में जॉच अधिकारी द्वारा अपनी जॉच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि अपचारी अधिकारी द्वारा अपने पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। आहरण/वितरण अधिकारी होने के नाते अपचारी अधिकारी का दायित्व था कि वह वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं को आवंटित की गयी धनराशि के उपभोग एवं अवशेष धनराशि के संबंध में कर्मचारियों/पटल सहायकों से जानकारी प्राप्त करते, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। फलस्वरूप विद्यालयों में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अवितरित पड़ी रही, उसे राजकोष में जमा नहीं कराया गया। इस प्रकार यह आरोप अपचारी अधिकारी पर पर्यवेक्षणीय दायित्व में शिथिलता बरतने की सीमा तक सिद्ध होता है।

4- आरोप संख्या-4 जिला समाज कल्याण अधिकारी के पदनाम से विभिन्न बैंकों में खोले गये 16 खातों में जमा की गयी धनराशि में से काफी मात्रा में धनराशि अवशेष के रूप में अनिस्तारित पड़ी रहने, जमा एवं निकाली गयी धनराशियों के लेजर सुरक्षित न रखने व शासकीय धनराशि का दुरूपयोग/गबन किये जाने से संबंधित है।

इस संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा जॉच अधिकारी को जो उत्तर दिया गया है, उसमें यह उल्लेख किया गया है कि उनके जनपद मुजफ्फरनगर में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व से ही जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर के पदनाम से विभिन्न बैंकों में संचालित थे। आरोप पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपचारी अधिकारी ने अपने कार्यकाल में किस-किस बैंक में कौन सा खाता पदनाम से खोला है। विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर की अनुमति एवं प्रशासनिक मजबूरी में उसके द्वारा एक-दो खाते खोले गये है, क्योंकि जिलाधिकारी के स्तर से कभी-कभी तत्काल पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित कराने हेतु शिविर/कैम्प लगाकर भुगतान करने के आदेश दिये जाते रहे हैं। इन खातों को खोलने में उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रहा है। बैंकों से प्राप्त अवशेष धनराशि संबंधित खातों में नियमित रूप से जमा करके नवीन लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया, इसमें न तो कोई अनियमितता की गयी और न ही किसी शासकीय धनराशि का गबन हुआ। तद्नुसार स्वयं को आरोप से मुक्त करने का अनुरोध अपचारी अधिकारी द्वारा किया गया है। आरोप पत्र में उल्लिखित एवं बैंक खातों में उपलब्ध धनराशि विभागीय प्राप्ति मद में जमा की जा चुकी है, इसकी पुष्टि जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर के पत्र दिनांक 05-07-2010 से होती है।

इस संबंध में जॉच अधिकारी द्वारा अपनी जॉच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर एक-दो खाते खोलना व्यावहारिक रूप से मान्य हो सकता है, किन्तु विभागीय/शासकीय दिशा-निर्देशों के सर्वथा विपरीत है। अपचारी अधिकारी का यह कथन कि पूर्व से जिला समाज कल्याण अधिकारी के पदनाम से खुले खातों को बन्द करने एवं शासन की अनुमति के बिना बैंक खाता न खोलने संबंधी आदेश/निर्देशों से उन्हें कार्यालय सहायकों द्वारा

http://shasanadesh.up.nic.in

अवगत नहीं कराया गया, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि अपचारी अधिकारी विभागीय राजपत्रित अधिकारी हैं तथा शासकीय/विभागीय आदेशों का संज्ञान में न आना पदगत दायित्वों से बचने मात्र का प्रयास है। अपचारी अधिकारी ने अपने उत्तर में यह भी स्पष्ट किया है कि आरोप पत्र में उल्लिखित बैंक खातों के अवशेष धनराशि विभागीय प्राप्ति मद में जमा करायी जा चुकी है, जिसकी पुष्टि हेतु अपने उत्तर के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर का पत्र दिनांक 05-07-2010 संलग्न किया गया है। यद्यपि अपचारी अधिकारी शासकीय धनराशि का दुरूपयोग/गबन होना प्रमाणित नहीं पाया गया, किन्तु विभागीय/शासकीय निर्देशों के बावजूद जिला समाज कल्याण अधिकारी के पदनाम से बैंक खाता खोलने तथा उक्त खातों में शासकीय धनराशि अवशेष पड़ी रहने के आरोप की पुष्टि होती है।

5- आरोप संख्या-5 जो सहायक लेखाकार की आलमारी में अनिस्तारित चेक पाये जाने व इन चेकों की धनराशि का अंकन वापसी पंजिका में न किये जाने से संबंधित है। इस संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा जॉच अधिकारी को जो उत्तर दिया गया है, उसमें यह उल्लेख किया गया है कि जिन 18 चेकों का विवरण प्रस्तुत किया गया है, वह केवल जनपद मुजफ्फरनगर की नहीं अपितु प्रदेश के समस्त जनपदों की है। स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त न होना भी चेकों के अनिस्तारित रहने का एक कारण है। चेकों के अनिस्तारित रखने के संबंध में पटल सहायकों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उन्हें दण्डित किया जा चुका है। अत: उक्त अनियमितता के लिए अपचारी अधिकारी को आरोपित करना न्याय के विपरीत है।

इस संबंध में जॉच अधिकारी द्वारा अपनी जॉच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन की अवितरित धनराशि के बैंकों से प्राप्त बैंकर्स चेकों को पंजिका में प्रविष्टि कर तिथि संशोधित करने/कमियॉ दूर करने हेतु पटल सहायकों द्वारा पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी, जिसके कारण सहायक लेखाकार की आलमारी में उक्त अनिस्तारित चेकें जॉच समिति को मिली। यदि संबंधित पटल सहायकों द्वारा क्षेत्रीय कर्मचारियों से प्राप्त स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट अथवा अन्य किसी स्रोत से प्राप्त जानकारी के आधार पर पायी गयी त्रुटियों का संज्ञान लेकर चेकों के संशोधन हेतु अधिकारी से सहायक लेखाकार के लिए दिशा-निर्देश जारी कराये जाते तथा सहायक लेखाकार द्वारा उक्त अनिस्तारित चेकों में यथावॉछित संशोधन कराकर पटल सहायकों को पुन: वितरण हेतु वापस किया जाता, तो उपरोक्त 18 चेके सहायक लेखाकार की आलमारी में अनिस्तारित न पड़ी रहती। इस प्रकार अपचारी अधिकारी पर अपने पदगत दायित्वों का सम्यक् निर्वहन न किये जाने का आरोप आंशिक रूप से सिद्ध होता है।

6- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये जाने के फलस्वरूप दण्ड का विनिश्चय करते हुए प्रस्ताव सहमति हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद को प्रेषित किया गया। आयोग का परामर्श उनके पत्र संख्या-38/7/ए0डी0सी0/एस-4/2012-13, दिनांक 05-08-2013 के माध्यम से शासन को प्राप्त हुआ, जिसमें शासन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुक्रम में अपचारी अधिकारी को परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान करते हुए 02 वेतनवृद्धियॉ 05 वर्ष के लिए रोके

http://shasanadesh.up.nic.in

जाने पर सहमति दी गयी।

7- अतएव सम्यक् विचारोपरान्त श्री अरूण कुमार, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर(निलम्बित) को उनके द्वारा की गयी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं, पदीय दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता बरतने का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की सहमति से निम्नवत् दण्ड देते हुए उनके विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- श्री अरूण कुमार, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर(निलम्बित) की 02 वेतनवृद्धियॉ 05 वर्ष के लिए रोक दी जाय।

2- अपचारी अधिकारी को निम्नवत् परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान की जाय-

"जनपद मुजफ्फरनगर में तैनाती के दौरान विभागीय/शासकीय निर्देशों के बावजूद जिला समाज कल्याण अधिकारी के पदनाम से बैंक खाता खोलने तथा उक्त खातों में शासकीय धनराशि अवशेष पड़ी रखने, पदगत दायित्वों का सम्यक् निर्वहन न करने व पर्यवेक्षणीय दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिए श्री अरूण कुमार, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर (निलम्बित) को एतद्द्वारा परिनिन्दित किया जाता है।"

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-29/2460(1)/26-1-2013-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र संख्या-38/7/ए0डी0सी0/एस-4/2012-13, दिनांक 05-08-2013 के संदर्भ में।
3- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
6- उपनिदेशक, समाज कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ।
7- श्री अरूण कुमार, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर (निलम्बित) सम्बद्ध निदेशालय समाज कल्याण द्वारा निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल/इण्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in